भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5656

27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाएं

5656. श्री अरूण कुमार सागर:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने भूतपूर्व सैनिक इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में किन्हीं समस्याओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति पर इन योजनाओं के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) एवं (ख) : सरकार केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), पुनर्वासन महानिदेशालय (डीजीआर) और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं संचालित करती है। केएसबी और डीजीआर द्वारा किए गए कल्याण उपायों के ब्योरे अनुलग्नक-I और अनुलग्नक–II में दिए गए हैं।

ईसीएचएस भारत और नेपाल में 456 पॉलिक्लिनिकों और 3144 पैनलबद्ध अस्पतालों के वृहत नेटवर्क के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को नकद रहित एवं बिना किसी उच्चतम सीमा के स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराता है।

(ग) : उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र में ईएसएम/विधवाओं की कुल संख्या 4,028 है, जो उनकी हकदारी के अनुसार विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए हैं।

(घ) एवं (ङ) : केएसबी की कल्याण योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य सैनिक बोर्डों (आरएसबी) और जिला सैनिक बोर्डों (जेडएसबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के बारे में प्रचार-प्रसार केएसबी, आरएसबी और जेडएसबी द्वारा उनके कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित करने के माध्यम से और ईएसएम समुदाय के मध्य व्यापक प्रचार और जागरूकता के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, डीजीआर भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से और तीनों सेना मुख्यालयों की सहायता से पूरे भारत में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी मेले आयोजित करता है। ईएसएम का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इन कल्याण योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

"भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाओं" के बारे में दिनांक 27.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5656 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

1.सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि के माध्यम से -

क्रम सं.	अनुदान	राशि (रुपए में)
1	**निर्धनता अनुदान** (65 वर्ष और इससे अधिक) (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	8000/- रुपए प्रति माह
2	**शिक्षा अनुदान** (दो बच्चों तक) (i) स्नातक तक बालक/बालिकाएं (ii) पीजी के लिए विधवाएं (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) और दो बच्चों तक	2000/-रुपए प्रति माह
3	**नि:शक्त बच्चों के लिए अनुदान** (जेसीओ रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	3000/- रुपए प्रति माह
4	**पुत्री के विवाह के लिए अनुदान** (02 पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	1,00,000/-रुपए
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	
5	**चिकित्सीय उपचार अनुदान** (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए (अधिकतम)
6	**अनाथ संबंधी अनुदान** (सभी रैंक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) • विवाह हो जाने तक भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियां • वर्ष की आयु तक भूतपूर्व सैनिक का 21 एक पुत्र	3000/-रुपए प्रति माह
7	**विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए (एकबारगी)
8	**निम्न सूची अनुसार गंभीर बीमारियां:-** एंजीयोप्लास्टी एवं एंजीयोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्व रीप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, सेरेब्रल स्ट्रोक, प्रोस्ट्रेट सर्जरी, जॉइन्ट रीप्लेसमेंट और रीनल फेल्योर।	अधिकारियों और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90% (अधिकतम) 1.50 लाख रुपए तक।

	अन्य बीमारियां: डायलिसिस और कैंसर उपचार (सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवाओं/ईएसएम की पत्नी के आश्रितों पर लागू होता है)	अधिकारियों तथा पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90%। कैंसर और डायलिसिस के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 75,000/- रुपए तक।
9	**नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए मॉडिफाइड स्कूटर अनुदान जेसीओ रैंक तक लागू:** ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकी सेवा के बाद नि:शक्तता 50% या उससे अधिक है	1,00,000 रुपए (10 वर्ष के बाद पुन: आवेदन)
10	**जेसीओ रैंक तक आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** युद्ध से शोक संतप्त, युद्ध में नि:शक्त हुए तथा शांतिकाल में हताहत हुए सैनिकों के मकानों के निर्माण हेतु एलआईसी/जीआईसी और हुडको सहित बैंक या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र आदि द्वारा लिए गए ब्याज की 50% धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।	अधिकतम 1,00,000 रुपए (एकबारगी)

2. **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना:** पाठ्यक्रमों की सम्पूर्ण अवधि के लिए मेरिट के आधार पर वार्षिक रूप से पात्र बच्चों को कुल 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें निम्नवत हैं:-

(क) बालकों के लिए प्रतिमाह 2500/- रुपए।

(ख) बालिकाओं के लिए प्रतिमाह 3000/- रुपए।

3. **ईएसएम के पुनर्वास में संलग्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता:-**

क्रम सं.	संगठन	सहायता/अनुदान की प्रमात्रा
1	**पैरेप्लेजिक रीहैबिलिटेशन सेन्टर** (i) किर्की (ii) मोहाली	**स्थापना अनुदान (प्रतिवर्ष)** (i) 1.20 करोड़ रुपए 30,000/- प्रतिवर्ष अप्रैल 2016 से प्रति संवासी (ii) 10 लाख रुपए (अप्रैल 2015 से)
2	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून	12 लाख रुपए प्रति वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 18 लाख रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है)
3	**चेशायर गृह** (i) लखनऊ (ii) देहरादून (iii) दिल्ली	15,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति संवासी
4	**समर स्मारक छात्रावास:** 36 ऐसे डब्ल्यूएमएच हैं जो युद्ध विधवाओं/ आरोप्य तथा अनारोप्य मामलों में युद्ध में नि:शक्तजनों के बच्चों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं।	1350/- रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह

4. **भारत सरकार के नामिति के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण:** भारत सरकार के नामिति के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केएसबी को एमबीबीएस की कुल 42 सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों की 3 सीटें आवंटित की गई थी।

"भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाओं" के बारे में दिनांक 27.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5656 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

<u>पुनर्वास अवसर</u>

1. पुनर्वास महानिदेशालय तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) को लाभप्रद नौकरी और स्व-रोजगार दिलाने के लिए कई तरह की पुनर्वासन योजनाएं क्रियान्वित करता है। ये योजनाएं ईएसएम की स्वेच्छा, विहित अर्हता मानदंडों को पूरा करने और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर दी जाती हैं।

2. **पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा संचालित पुनर्वास योजनाएँ**

2.1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नियोजन सहायता: डीजीआर, डीजीआर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को नियोजन में मदद करता है। ईएसएम को सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के संगठनों से मिली आवश्यकता के आधार पर प्रायोजित किया जाता है। प्रायोजन, विज्ञापित पद स्थितियों के लिए ईएसएम द्वारा स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं।

2.2 डीजीआर की पैनलबद्ध सुरक्षा सेवाएं योजना : इस योजना के तहत, डीजीआर अलग-अलग ईएसएम सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों को पैनल में शामिल करता है और प्रायोजन करता है ताकि वे अलग-अलग सरकारी मंत्रालयों/विभागों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, संगठनों और संस्थाओं, साथ ही निजी क्षेत्र के संगठनों को सुरक्षा सेवाएं दे सकें। यह योजना भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के वर्ष 1994 के आदेश के तहत लागू है, और यह राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, सीमा क्षेत्रों और द्वीप राज्यक्षेत्रों में सरकारी संगठनों और संस्थाओं, सीपीएसयू/सीपीएसई, और स्वायत्त निकायों की सभी परिसंपत्तियों और संपत्तियों (महत्वपूर्ण, संवेदनशील और रणनीतिक परिसंपत्तियों सहित) की सुरक्षा भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। यह योजना सुरक्षा एजेंसियों के मालिकों के तौर पर ईएसएम (अधिकारियों) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देती है, साथ ही अन्य ईएसएम के लिए सुरक्षा कर्मचारियों के तौर पर बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके भी पैदा करती है।

2.3 ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना : यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से चलती है। 30 जून 2020 से सीआईएल के एमओयू से एकतरफ़ा हटने के बाद यह योजना निलंबित रही। लगातार कोशिशों के बाद, 14 अक्टूबर 2025 को डीजीआर और सीआईएल के बीच एक संशोधित समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सीआईएल की अलग-अलग समनुषंगी कंपनियों में कोल लोडिंग और परिवहन कंपनियों को चलाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को फिर से मौके मिले। इस योजना में ईएसएम अधिकारियों को निदेशक के तौर पर और अन्य रैंक के लोगों को टिपर मालिकों के तौर पर स्व-नियोजन शामिल है। विधवाओं/बच्चों और दिव्यांग ईएसएम को एक बार के निवेश के आधार पर मौद्रिक लाभ हेतु ईएसएम कंपनी से जोड़ा जाता है।

2.4 ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन : डीजीआर ने दिल्ली/एनसीआर में आईजीएल/सीएनजी स्टेशनों के प्रबंधन के लिए सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों (ब्रिगेडियर और समकक्ष रैंक तक) का एक पैनल प्रदान करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल), नई दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। इस योजना के तहत पंजीकृत योग्य ईएसएम अधिकारी आईजीएल से मिली आवश्यकता के अनुसार 1:2 के अनुपात में प्रायोजित किए जाते हैं। चयनित अधिकारियों को पांच साल के अनुबंध पर रखा जाता है, जिसे हर साल नवीकृत किया जा सकता है। माह का पारिश्रमिक लगभग 90,000/- रुपये है। ऐसी ही एक योजना वर्ष 2015 से महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड (एमएनजीएल) के साथ पुणे, महाराष्ट्र में चल रही है।

2.5 कंपनी स्वामित्व और कंपनी प्रचालित खुदरा आउटलेट (सीओसीओ) का प्रबंधन : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) की नीति के अनुसार, सीओसीओ खुदरा आउटलेट सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना अधिकारियों और 60 साल से कम उम्र के जेसीओ को अनुबंध के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल के लिए प्रबंधन हेतु दिए जाते हैं। यह योजना पूरे भारत में चलती है। अधिकारियों का प्रायोजन डीजीआर करता है, जबकि जेसीओ को राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) के माध्यम से प्रायोजित किया जाता है। तेल विपणन कंपनियाँ सेल्स पर परफॉर्मेंस-बेस्ड इंसेंटिव के अलावा हर महीने 30,000 रुपये की फिक्स्ड सैलरी देती हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की वेबसाइट पर डिटेल्ड पॉलिसी गाइडलाइंस मौजूद हैं।

2.6 एलपीजी / रिटेल आउटलेट डिस्ट्रीब्यूटरशिप (8% **आरक्षण कोटा**) **के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाण-पत्र निर्गम :** डीजीआर, **8%** आरक्षण कोटा के तहत तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और पेट्रोल/डीज़ल रिटेल आउटलेट के आवंटन हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करता है। पात्र श्रेणी में भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं, युद्ध में या सेवा के दौरान सेवा के कारण/बढ़े हुए कारणों से मारे गए लोगों की विधवाओं/आश्रितों और सेना से संबद्ध कारणों से नि:शक्त हुए लोग शामिल हैं।

2.7 एनसीआर में मदर डेयरी मिल्क बूथ और सफल (फल और सब्जी) की दुकानों का आवंटन: यह योजना डीजीआर और मदर डेयरी के बीच एक एमओयू के तहत चलाई जाती है। पूरी तरह से सुसज्जित मिल्क बूथ और सफल फल और सब्जी की दुकानें एनसीआर में ईएसएम (अधिकारी रैंक से नीचे) को आवंटित की जाती हैं। ईएसएम को मदर डेयरी से मिली आवश्यकता के अनुसार डीजीआर **3:1** के अनुपात में प्रायोजित करता है। चयनित उम्मीदवारों दो हफ़्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है और आवंटन के समय **1,00,000** की प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करते हैं। मिल्क बूथ के लिए कम से कम **15,000** रुपये प्रतिमाह का सुनिश्चित कमीशन मिलता है, जबकि सफल बूथ के लिए पहले छह महीनों के लिए **45,000** रुपये प्रतिमाह का सुनिश्चित कमीशन मिलता है। ईएसएम को **60** साल की उम्र तक बूथ चलाने की इजाज़त है, जिसे दो और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2.8 डीजीआर तकनीकी सेवा योजना : इस योजना के तहत, डीजीआर, पैनलबद्ध राज्य भूतपूर्व सैनिक निगम के माध्यम से सरकारी प्रतिष्ठानों को तकनीकी जनशक्ति के तौर पर प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिक की सेवा प्रदान करता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की ज़रूरतों के लिए ईएसएम की तकनीकी विशेषज्ञता और अनुशासन का उपयोग करती है।

2.9 भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी): पीएमबीजेपी का उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेपी) नामक विशिष्ट आउटलेट के माध्यम से सस्ती गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। यह योजना औषध विभाग के अधीन भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) क्रियान्वित करता है। पीएमबीजेपी के तहत, जन औषधि केंद्र के स्वामी बेची गई हर दवा के एमआरपी पर **20%** मार्जिन कमाते हैं,

जिससे कमाई का एक बड़ा ज़रिया बनता है। इसके अलावा, पीएमबीआई से हर महीने 20,000 रुपये तक की खरीदारी पर 20% सामान्य प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

2.10 **डीजीआर भूतपूर्व सैनिक सेमिनार-सह-रोजगार मेला** : डीजीआर तीनों सेना मुख यालयों और सीआईआई/अलग-अलग राज्य मंडल और उद्योग निकाया की मदद से पूरे देश में भूतपूर्व सैनिक रोजगार मेले आयोजित करता है। ये रोजगार मेले नियोक्ता और भूतपूर्व सैनिकों के बीच सीधा अंतर्फलक प्रदान करते हैं, और इसमें मौके पर ही कौशल परीक्षण, साक्षात्कार और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में नौकरी के मौके शामिल होते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 12 रोजगार मेले आयोजित किए गए, और वित्त वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक 20 में से 14 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं।

3. **पुनर्वास प्रशिक्षण और कौशल प्रबंधन पाठ्यक्रम :** प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें अच्छे दूसरे करियर के अवसरों की ज़रूरत होती है। नागरिक जीवन में उनके आसानी से पारगमन करने के लिए, डीजीआर कई तरह के पुनर्वास प्रशिक्षण और कौशल विकास पाठ्यक्रम कराता है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

3.1 **प्रबंधन और पेशेवर पाठ्यक्रम** : अधिकारियों के लिए प्रबंधन पाठ्यक्रम 24 हफ़्ते के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और दूसरे बड़े बी-स्कूलों जैसे जाने-माने संस्थानों में करवाए जाते हैं। इसके अलावा, कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), मानेसर में दो हफ़्ते का स्वतंत्र निदेशक कोर्स करवाया जाता है।

3.2 **जेसीओ / ओआर और समकक्ष रैंक के लिए पुनर्वास पाठ्यक्रम** : डीजीआर आईटी, प्रबंधन, सुरक्षा, उद्यमिता, कृषि-व्यवसाय और एआई, डेटा विज्ञान और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसी नई प्रौद्योगिकी जैसे अलग-अलग विषय में पुनर्वास पाठ्यक्रम कराता है। ये पाठ्यक्रम तीन से चार महीने के होते हैं और ये बड़े सरकारी/सरकारी स्वायत्त संस्थानों में कराए जाते हैं।

3.3 **पात्रता** : अधिकारियों के लिए सेवा के आखिरी चरण में अंतिम एक साल के अंदर और जेसीओ/ओआर के लिए अंतिम दो सालों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

सेवानिवृत्ति के उपरांत, अधिकारी तीन साल के अंदर प्रशिक्षण ले सकते हैं, जबकि जेसीओ/ओआर सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद तक पात्र होते हैं।

3.4 सरकार से शुल्क / वित्तीय सहायता : अधिकारियों के लिए, पाठ्यक्रम शुल्क का **60%** रक्षा मंत्रालय/डीजीआर और **40%** संबंधित व्यक्ति देता है। जेसीओ/ओआर के लिए, पाठ्यक्रम शुल्क का **100%** रक्षा मंत्रालय/डीजीआर देता है। अधिकारियों, जेसीओ और ओआर की विधवाएं भी डीजीआर प्रायोजित कोई भी पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र हैं।
